न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 151/2019 **दायर दिनांकः 04/10/2019**

उनवान

1. केदार नेनीवाल उम्र 59 वर्ष पुत्र श्री बद्री लाल जाति खटीक निवासी खेडलीगंज तह0अटरू जिला बारॉ राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारॉ राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 21/11/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अर्डान्द तह0 अटरू जिला बारॉ में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता स0 43 की खसरा स0 106 कुल 1 किता की 1.35 हैक्टर खातेदारान केदार लाल पुत्र बद्री लाल जाति खटीक निवासी खेडलीगंज तह0 अटरू के खाते दर्ज चली आ रही है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो का कबील गौर है। उक्त भूमि का इन्तकाल खेलते वक्त सहवन से वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में केदार नेनीवाल के स्थान पर केदार लाल दर्ज कर दिया जबकी उसका सही नाम केदार नेनीवाल था। वादी का सही नाम केदार नेनीवाल है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम केदार नेनीवाल ही दर्ज है, राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम केदार लाल है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड दस्तावेजो मे वादी का नाम केदार नेनीवाल दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है, किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानीयो का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक

रूप से पिछड़ जायेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल राजस्व रिकार्ड में केदार लाल उर्फ केदार नेनीवाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषण नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम केदार लाल दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनोक 28/09/2019 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षे़त्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पैश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर परमाई जावेः-

(अ) राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल घोषित किया जाकर जमाबन्दी मे केदार लाल के स्थान पर केदार नेनीवाल दर्ज किया जावे विकल्प मे निवेदन है कि केदार लाल उर्फ केदार नेनीवाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही हो रहा है। फोती नामान्तरण से अशुद्व हुआ है तो शुद्व करने में कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 वादी के बयान लेखबद्ध किये गये अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वादी का नाम जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में केदार नेनीवाल दर्ज है। भूमि का इन्तकाल खोलते समय जमाबन्दी में केदार

नेनीवाल के स्थान पर केदार लाल दर्ज हो गया जबकि सही नाम केदार नेनीवाल है। जिसको दुरूस्त किया जाकर जमाबन्दी में केदार नेनीवाल दर्ज किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड जाति प्रमाण पत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र आधार कार्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 43 किता 1 रकबा 1.35 है0 में खातेदार केदारलाल के स्थान पर सही नाम केदार लाल उर्फ केदार नेनीवाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 151/2019

उनवान

1. केदार नेनीवाल उम्र 59 वर्ष पुत्र श्री बद्री लाल जाति खटीक निवासी खेडलीगंज तह0अटरू जिला बारॉ राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारॉ राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अर्डान्द की खाता संख्या 43 किता 1 रकबा 1.35 है0 में खातेदार केदारलाल के स्थान पर सही नाम केदार लाल उर्फ केदार नेनीवाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.11.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 17:12:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: